(Authoritative English Text of this Department Notification No. Health-C-A(2)-6/2018, dated ------------------ as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Health & Family Welfare

No. Health-C-A(2)-6/2018 **Dated:- Shimla-2, the 2-7-2019**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Deputy Drug Controller, Class-I (Gazetted) in the Department of Health Safety and Regulation, Himachal Pradesh, as per annexure-"A" attached to this notification, namely :-

Short title and commencement	1.(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Health Safety and Regulation, Deputy Drug Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019. (2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By Order

Addl. Chief Secretary (Health) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No.As above Dated:- Shimla-2, the 2-7-2019
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The LR-cum-Principal Secretary (Law) to the Government of H.P. Shimla-2.
2. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2 w.r.t. his letter No. 1-2/2016-PSC-Part, dated 11.03.2019.
3. The Director of Health Services, H.P. Shimla-9.
4. The Director of Dental Health Services, H.P. Shimla-9.
5. The Director, Health Safety and Regulation, H.P. Shimla-9.
6. The Controller, Printing & Stationery, H.P. Shimla-5 for publication in Rajpatra.
7. Guard file.

(Sandeep Negi)
Addl. Secretary (Health) to the
Government of Himachal Pradesh.

D.H.S.R.
OSD (DRUGS/EMP)
OSD (PNDT/FSSA)
AD (RS)
AC (F&A)
DDA
DO
ADC
Supdt. (ESI)
Supdt. (HSR)

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DRUG CONTROLLER, CLASS-I (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF HEALTH SAFETY AND REGULATION, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of post	Deputy Drug Controller	
2	Number of post	01(One)	
3	Classification	Class-I (Gazetted)	
4	Scale of Pay	Pay band Rs. 15600 -39100 + Rs. 5400 Grade Pay	
5	Whether "Selection" post or "Non-Section" post	Selection	
6	Age for direct recruitment	Not Applicable	
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s)	Not Applicable	
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)	Age :	Not applicable
		Educational Qualification :	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing	
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods	100% by promotion	

11.	In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made	By promotion from amongst the Assistant Drug Controller who possess 05 (five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Assistant Drug Controllers who possess ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Assistant Drugs Controller and Drugs Inspector combined which shall include essential service of three years as Assistant Drug Controller .

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen who have joined Armed Forces during the period of emergency and recruited under Rule- 3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under

the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12	If a Departmental Promotion/ Confirmation Committee exists, what is its composition ?	As may be constituted by the Government from time to time.
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment	As required under the law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment	Not applicable
15.	Selection for appointment to the post by direct recruitment	Not applicable
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Every member of the service shall pass departmental examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules 1997, as amended from time to time.
18	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संख्या: स्वास्थ्य-बी-ए(2)-6/2018-लूज़ तारीख:- शिमला-2, 2-7-2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग में उप औषधि नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध -"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग उप औषधि नियन्त्रक, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है। (2) ये नियम राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं: यथोपरि। तारीख: शिमला-2, - 2-7-2019
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को उनके पत्र संख्या:1-2/2016-पी0एस0सी0-पार्ट, दिनांक 11.03. 2019 के संदर्भ में।
3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हि0 प्र0, शिमला-9।
4. निदेशक, दन्त स्वास्थ्य सेवाएं, हि0 प्र0, शिमला-9।
5. निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन, हि0 प्र0, शिमला-2।
6. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन, हि0 प्र0, शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
7. गार्ड फाइल।

अतिरिक्त सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध-"क"

हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग में उप औषधि नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम:	उप औषधि नियन्त्रक
2	पद की संख्या:	01 (एक)
3	वर्गीकरण:	वर्ग-I (राजपत्रित)
4	वेतनमान:	पे बैण्ड 15600-39100 जमा 5400 रूपए ग्रेड पे
5	"चयन" पद अथवा "अचयन" पद:	चयन
6	सीधी भर्ती के लिए आयु:	लागू नहीं।
7	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	लागू नहीं।
8	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं:	आयु: लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/ सैकेंडमेंट/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।
11	प्रोन्नति/सैकेंडमेंट/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेंडमेंट/ स्थानांतरण किया जाएगा:	सहायक औषधि नियन्त्रकों में से प्रोन्नति द्वारा जो पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल रखते हो, ऐसा न होने पर सहायक औषधि नियन्त्रकों में से प्रोन्नति द्वारा जो सहायक औषधि नियन्त्रक और औषधि निरीक्षक के रूप में संयुक्तत: दस वर्ष का

नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल रखते हो, जिसमें सहायक औषधि नियन्त्रक के रूप में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा सम्मिलित होगी।

(i) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:- अंतिम परन्तुक के अंतर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइजड आमर्ड फोर्सेज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टेक्नीकल सर्विसेज़) रूल्ज़, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अंतर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसेज़) रूल्ज़, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अंतर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:	जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:	लागू नहीं।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	लागू नहीं।
16	आरक्षण:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा:	सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।